न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या :– 127/2015
दायर दिनांक :– 09/09/2015
निर्णय दिनांक :– 15/11/2022

उनवान

1. देवीलाल पिता रतनलाल ब्राहम्ण निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
2. कन्हैयालाल पिता देवीलाल ब्राहम्ण निवासी निलोद तहसील भूपालसागर

वादी

बनाम

1. मांगीलाल पिता नन्दलाल ब्राहम्ण निवासी निलोद तहसील भूपालसागर

प्रतिवादीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति :– 1. श्री ललित झंवर

: : निर्णय : :

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मृतक रतनलाल के वारिस देवीलाल पुत्र व नन्दलाल फौत वारिसान मांगीलाल पुत्र, केसर पुत्री, सुखी पुत्री, लेहरी विधवा के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात ग्राम निलोद में खाता संख्या 336 के आ.सं. 518, 521, 1618, 1619, 1621, 1626, 1628, 1629, 1630, 1631, 1639, 1699, 1706, 1740, 1741, 1744, 1780, 1783, 1784, 1785, 1786 व 2914/1743 कुल किता 23 रकबा 5.28 है. व इसी प्रकार ग्राम निलोद में ही खाता संख्या 328 में आ.सं. 492, 1620, 1651, 1745 कुल किता 4 रकबा 0.94 है. स्थित है। मृतक रतनलाल के पुत्र नन्दलाल को खुमराज के गोद रतनलाल के जीवनकाल में ही रख दिया था जिससे खेमराज का विरासत का नामान्तरकरण भी मृतक नन्दलाल के नाम दर्ज हो चुका है जिससे रतनलाल की विरासत में नन्दलाल मृतक का कोई हक व अधिकारी नहीं है व रतनलाल का एकमात्र वारिस देवीलाल प्रार्थी सं. 1 ही है व कुल आराजियात पर काबिज है मगर राजस्व कर्मचारियों की गलती से विरासत का नामान्तरकरण 1/2 वादी/प्रार्थी देवलाल व 1/2 विपक्षी व प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 के नाम दर्ज कर दिया जबकि उक्त वर्णित आराजियात में विपक्षी के मृतक पिता श्री नन्दलाल का विरासत का अधिकार समाप्त होकर खूमराज का गोदपुत्र बन जाने से खूमराज का वारिस हो गया व खुमराज की विरासत का खाता भी मृतक नन्दलाल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। इस प्र[illegible] प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 4 में वर्णित सारी आराजियात अकेले प्रार्थी देवीलाल के ख[illegible] होकर कब्जे काश्त की है उक्त आराजियात में मृत नन्दलाल का को[illegible] प्रार्थी उक्त आराजियात में दर्ज विपक्षी एवं प्रतिवादी संख्या [illegible] 4 का नाम [illegible] रिकार्ड से विलोपित फरमा प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 4 में वर्णित सारी आराजियात प्रार्थी के खाते में दर्ज कराने [illegible] अधिकारी है व मृतक रतनलाल का एकमात्र वारीस देवीलाल ही है, [illegible] बाबत घोषणा कराने [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.11.23 15:38:21 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी है इस हेतु यह दावा पेश किया जा रहा है। विपक्षी राजस्व रिकार्ड का नाजायज फायदा उठा प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 4 में वर्णित आराजियात को अन्यत्र हस्तान्तरित व प्रार्थीगणों के एकमात्र कब्जे में हस्तक्षेप पर उतारू है जिससे विपक्षी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा भी पाबन्द किया जाना आवश्यक है अन्यथा पक्षकारान के बीच कई प्रकार के विवाद बढ जावेगें व प्रार्थीगण को अपार क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 3 में वर्णित आराजियात के किसी भी हिस्से को किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द नहीं करे तथा प्रार्थीगण के कब्जे में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं करे एवं न ही अपने परिवारजन नौकर एजेन्ट आदि से ही करावे।

अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री नारायणलाल जाट ने अधिकार पत्र पेश किया। वकील अप्रार्थी को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाने से जवाब दिनांक 30.06.2022 को बंद किया गया, बहस एकतरफा सुनी गई।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में सम्पूर्ण तथ्यों एवं बहस के आधार पर अप्रार्थीगण के जवाब अनुसार सुविधा सन्तुलन साबित नहीं कर पाऐ है तथा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी एवं न्यायिक दृष्टांत से प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है तथा उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अप्रार्थीगण के पक्ष में ऐसा कोई तथ्य नहीं पाया जाता है कि अप्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जावे। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 27.08.2013 अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं दोनों पक्ष मूल वाद का निस्तारण होने तक राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाई रखें। निर्णय आज दिनांक 15.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भावना सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.11.23 15:38:21 IST
Reason: SelfAttested